2021/86

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री धीरेन्द्र असारसा (आर.टी.आई. कार्यकर्ता) निवासी रोज व्यूह आबूपर्वत जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं.38 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.04.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 15.02.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा एक पत्र दिनांक 21.12.2020 को उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आम रास्ता खोलने से सम्बन्धित दिया था। उक्त पत्र पर की गई कार्यवाई से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 15.02.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा एक पत्र दिनांक 21.12.2020 को उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आम रास्ता खोलने से सम्बन्धित दिया था। उक्त पत्र पर की गई कार्यवाई से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) **जिला कलक्टर, सिरोही** Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.05.27 12:19:46 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with CamScanner